117

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कृमांक । २०१६ निगरानी नि. - 156 - I - 16

मोहन सिंह पुत्र करण सिंह,
निवासी- ग्राम- बुखारी, तैहसील व जिला
श्योपुर मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

बिरुध्द

जगदीश सिंह पुत्र मुकट सिंह सैंगर, (मृत)
वारिसान :-

(१) मोहन सिंह | पुत्रगण जगदीश सिंह
(२) गुड्डू सिंह | समस्त निवासीगण
(३) अरूण सिंह | कस्वा बड़ौदा,

तैहसील- बड़ौदा जिला श्योपुर-मध्यप्रदेश ।

(४) तारावाई पुत्री ~~जगदीश-सिंह~~,
निवासिन ग्वालियर तैहसील ग्वालियर
जिला ग्वालियर (म०प्र०) हाल
निवासी- बड़ौदा तैहसील बड़ौदा,
जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) ।

------- प्रतिप्रार्थीगण

दिनांक 13.1.16 को श्री ... द्वारा प्रस्तुत 13.1.16

... 9319196

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय (राजस्व) श्योपुर दिनांक ६-११-२०१५, अन्तर्गत धारा ५०- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० १।११-१२ पुनराविलोकन ।

श्रीमान जी,

प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के तथ्य :-

१- यह कि, तैहसील न्यायालय व्दारा पारित आदेश दिनांक १७-४-२००२ के बिरुध्द प्रार्थी व्दारा दिनांक २२-१०-०२

कृमशः----२

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-156-एक/16 **जिला** - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u>**	